उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार हनन चरम पर

सरकार गठन की दावेदार पार्टियों से संवाद

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, उप्र का मांग पत्र

किसी भी स्वस्थ होते लोकतन्त्र की यह पहचान होती है कि उसमें मानवाधिकार हनन की घटनायें कम से कम होती जायं और सत्ता के अधिकार की जगह मानवाधिकार मजबूत होता जाय। लेकिन हमारे देश में खासतौर से हमारे प्रदेश में उल्टा हो रहा है। जैसे–जैसे लोकतन्त्र की आयु बढ़ रही है, वैसे–वैसे मानवाधिकारों का हनन भी ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है। किसी भी नागरिक या पीयूसीएल जैसे मानवाधिकार संगठनों के लिए यह चिंता की बात है। उत्तर प्रदेश के लिए यह और भी चिंता की बात है, क्योंकि मानवाधिकार हनन के मामलों में यह राज्य दूसरे सभी राज्यों के मुकाबले आगे है। सन 2021 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में होने वाले मानवाधिकार हनन के मामलों में 40 प्रतिशत अकेले उत्तर प्रदेश से हैं। यानि वह सबसे आगे है। महिलों के खिलाफ होने वाली हिंसा में भी उत्तर प्रदेश न सिर्फ वह सबसे आगे है, बल्कि इसके आस–पास भी कोई राज्य नहीं है। दलित उत्पीड़न के मामले में देखें, तो पूरे देश का 25.8 प्रतिशत दलित उत्पीड़न की घटनायें उत्तर प्रदेश से हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। भाजपा की योगी सरकार के मौजूदा शासनकाल में फर्जी मुठभेड़ के अप्रत्याशित रूप से बढ़े मामलों ने पूरे देश ही नहीं, दुनिया के मानवाधिकार संगठनों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। अल्पसंख्यकों पर दमन की यह स्थिति है, वे हर समय डर में जीने को अभिशप्त हैं। खासतौर पर अल्पसंख्यकों के दमन को ध्यान में रखकर कानून बनाये जाने से लेकर पूरे माहौल को साम्प्रदायिक बनाने के सभी उपाय यहां किये जा रहे हैं। नागरिकता कानून के खिलाफ चले आन्दोलनों में यह दमन अपने चरम पर था, जिस पर खुद हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा।

ये आंकड़े और हर दिन सामने आती ऐसी घटनायें पीयूसीएल के लिए चिंता का सबब है। इस समय जबकि मानवाधिकार हनन के मामले में प्रथम स्थान पर रहने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और जनता अपने लिए नई सरकार चुनने जा रही है, यह सही मौका है कि हम चुनाव मैदान में उतरने वाली सभी पार्टियों का और नई सरकार चुनने जा रही जनता का ध्यान इन आंकड़ों की ओर भी दिलायें। हम यह मांग करते हैं कि चुनावी दल अपने चुनावी घोषणा पत्रों में मानवाधिकार के पुनर्स्थापना का वादा करें और नई सरकार के गठन के बाद इस दिशा में तत्काल कोई कदम उठाये।

उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार हनन की स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है आइये इस पर एक नज़र डालते हैं–

उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अपराध

Table 1

Crime Against Women 2017-19

2017	2018	2019	Crime Rate
56,011	**59,445**	**59,853**	**55.4**

Table 2

Crime Against Women 2019 with Categories

Categories	Incidents	Victim	Crime Rate	Status [in states]
muder with rape /gang rape	**34**	**35**	**0.0**	**1st**
dowry deaths [sec304B IPC	**2410**	**2424**	**2.2**	**1st**
abetment to suicide [305/306]	**359**	**362**	**0.3**	
miscarriage [313-314 IPC	**71**	**71**	**0.1**	**1st**
Acid attack [326 IPC]	**42**	**44**	**0.0**	**1st**
attempt to acid attack [326B IPC	**2**	**2**	**0.0**	
cruelity by husband or his relativs [498A]	**18304**	**18617**	**16.9**	**1st**
kidnapping& abduction[336IPC]	**11649**	**11745**	**10.8**	**1st**
kidnapping & abduction to compel her for marriage [total]	**10256**	**10345**	**9.5**	**3rd**
k&a for marriege [below 18years]	**4029**	**4060**	**3.7**	**2nd**
human trafficing [women 370&370A IPC]	**14**	**14**	**0.0**	
rape [total]	**3065**	**3131**	**2.8**	**in above 10**
attempt to commit rape [total]	**358**	**358**	**0.3**	**in above 10**
assault on women with intent to outrage her	**11988**	**12157**	**11.1**	

modesty [total]				
insult to the modesty of women	**42**	**42**	**0.0**	
total IPC crimes against women	**48338**	**49002**	**44.4**	**in above 10**
dowry prohibition act, 1961	**3833**	**3962**	**3.5**	**4th**
cyber crime/infomation tech act [women centric only	**210**	**210**	**0.2**	
protection of children from sexual offences act[girl child victim only]	**7444**	**7570**	**6.9**	**in above 10**

ऊपर दिये गये टेबल साफ–साफ बता रहे हैं कि महिलाओं होने वाले लगभग सभी तरह के अपराधों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2018 से 2019 के बीच में जितनी शिकायतें आयोग में गईं उसमें उत्तर प्रदेश सभी राज्यों काफी अधिक पीछे छोड़ते हुए 11289 शिकायतों के साथ पहले नम्बर है। दूसरा स्थान दिल्ली का है, जहां से गईं शिकायतों की संख्या 1733 है। 2021 में इन आंकड़ों में 66.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले लॉकडाउन के समय यानि मार्च 2020 से सितम्बर 2020 के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग में उत्तर प्रदेश से कुल 5,470 शिकायतें पहुंची, जो कि पूरे देश का 53 प्रतिशत है, इसमें भी उत्तर प्रदेश पहले नम्बर पर है। महिलाओं पर अपराध के इन चिंताजनक आंकड़ों के बीच पहले हाथरस और फिर इलाहाबाद के गोहरी में दलित लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले से सरकार जिस तरीके से निपटती नज़र आयी, सत्ता की एक खतरनाक प्रवृत्ति को चिन्हित करती है, जो इन अपराधों को बढ़ावा देने वाली ही है।

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध उनके घटते अधिकारों के संकेतक है, क्योंकि किसी भी तरह की लैंगिक हिंसा सिर्फ अपराध ही नहीं होती, उस समाज की पितृसत्तात्मक मानसिकता की संकेतक होती है। और पितृसत्ता की मौजूदगी का मतलब है कमजोर लैंगिकता का दमन। किसी भी लोकतांत्रिक राज्य के लिए ये आंकड़े बेहद शर्मनाक है। समाज में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षा सरकार की ज़िम्मेदारी है, अतः आने वाली सरकार से हमारी यह मांग है कि वह राज्य में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित और सुनिश्चित करे।

उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न की घटनायें

Table-3

Crime/ Atrocities Against SCs 2017-19

2017	2018	2019	Crime Rate
11,444	**11,924**	**11,829**	**28.6**

ये आंकड़े और जैसा कि पहले कहा गया कि पूरे देश में दलितों पर होने वाले अपराधों का 25.8 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में घटित हो रहा है। यहां दलितों पर अपराध की दर 28.6 है, जो कि देश भर में सबसे अधिक है। दलितों पर होने वाले

अपराध को महिलाओं के साथ होने वाले अपराध से मिलाकर देखेंगे, तो तस्वीर और भी भयावह लगती है क्योंकि हाथरस और गोहरी की घटनायें इस बात की तस्दीक करती हैं, कि महिला यदि दलित है तो उसके साथ बलात्कार या किसी भी अन्य तरह के लैंगिक अपराध होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। 2019 के पूरे देश में दलित महिलाओं के बलात्कार के कुल 3,486 अपराध रजिस्टर हुए, जिनमें से अकेले उत्तर प्रदेश के कुल 537 मामले हैं, जो 15.4 प्रतिशत हैं। याद रहे ये केवल सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड मामले हैं, बहुत से मामलों में एफआईआर दर्ज ही नहीं होती और ऐसे मामलों में पुलिस प्रशासन का रवैया भी बेहद उपेक्षापूर्ण होता है। 2020 के भी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश दलित और आदिवासी उत्पीड़न में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इन आंकड़ों को अगर खोलेंगे, तो तस्वीर और भी खतरनाक और भयावह लगेगी। कहीं उसे घोड़ी चढ़कर शादी करने के लिए पीटा गया, तो कहीं किसी चोरी के इल्ज़ाम में। जहां भी ऐसी घटना घटी हैं, उनमें जातीय घृणा का सामंती मनुवादी पहलू ही सबसे प्रमुख है।

भारतीय समाज में वर्ण और जाति की अमानवीय गैर बराबरी की व्यवस्था मौजूद रही है। संविधान में इसे तोड़ने के कुछ प्रावधान किये भी गये हैं, लेकिन सरकारों ने इस अमानवीय व्यवस्था को तोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किये। आज के समय में यह बढ़ते एक बड़े सांस्थानिक उत्पीड़न के रूप में पहुंच चुकी है, जो कि किसी भी लोकतान्त्रिक राज्य के लिए बहुत शर्मनाक है। जातिवादी व्यवस्था और लोकतन्त्र एक साथ रह ही नहीं सकते। सदियों से मानव अधिकारों से वंचित दलित तबकों के मानवाधिकार की रक्षा और उसे सही मायने में लागू करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। पीयूसीएल यह सभी चुनावी पार्टियों से यह मांग करता हैं, कि वे हर स्तर पर जातीय उत्पीड़न को खत्म करने की वादा अपने चुनावी घोषणा में करें और सरकार बनाने के बाद इस वादे को पूरा करें।

अल्पसंख्यकों के दमन के बढ़ते मामले

यह तथ्य आंकड़ों से बताने की ज़रूरत नहीं कि उत्तर प्रदेश देश की हिन्दुत्ववादी राजनीति का गढ़ बन चुका है। 1992 में बाबरी मस्ज्दि गिराये जाने के बाद अल्पसंख्यकों खासतौर मुसलमानों के खिलाफ अपराधों में सरकारी स्तर पर इजाफा हुआ है, यानि यह अपराध अक्सर सरकारी मशीनरी की ओर से हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों का गढ़ बना, तो इसका कारण सिर्फ नागरिकता कानून के ही प्रति मुसलमान समुदाय का गुस्सा नहीं था, बल्कि पिछले कई सालों से मुसलमानों को आतंकवादी के तौर पर प्रोजेक्ट करने का जो सरकारी अभियान चलाया जा रहा था, उनके खिलाफ जो नफ़रत फैलाई जा रही थी, ये उसका भी नतीजा था। इस आन्दोलन पर मौजूदा सरकार ने जिस तरह का दमन किया वह अपने आप में गैरकानूनी है। 19 दिसम्बर को प्रदेश भर में हुए प्रदर्शनों से सरकार ने सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया, 'बदला लेने' की धमकी खुद मुख्यमंत्री ने दी। सरकारी तौर पर 22 लोगों की पुलिस की गोली से हत्या हुई, जिसमें एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की संख्या 34 है। लखनऊ और कानपुर में लोगों के साथ सबसे अधिक अमानवीयता बरती गयी। लोगों को बुरी तरीकों से पीटा गया, थानों में यातनायें दी गयी, महिलाओं के साथ बदतमीज़ी की गयी। बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जेलों में डाला गया और उनकी जमानत में सरकार की ओर से अड़ंगे डाले गये। अकेले लखनऊ में इस आन्दोलन से जुड़े 297 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गयी, जिसमें 18 लोगों के पर एनएसए और 68 आरोपियों पर गैंगस्टर, 28 लोगों पर गुंडा एक्ट लगाया गया। लगभग 300 लोगों पर पब्लिक प्रापर्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाकर उनसे 64 लाख रूपये 7 दिनों के भीतर जमा करने की नोटिस भेजी गयी। इतना ही नहीं लखनऊ के चौक–चौराहों पर इन सारे लोगों, जिनमें कई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे, की तस्वीरें अपराधियों के तौर पर जारी की गयी, तब जबकि आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ है। यह किसी की भी निजता का हनन है, जो कि संविधान से मिला अधिकार है। इस पर कई मानवाधिकार और जनसंगठनों ने विस्तृत रिपोर्ट जारी की है, जो सरकारी तंत्र खासतौर पर पुलिस तंत्र के साम्प्रदायिक होने की पूरी कहानी उजागर करती हैं। इलाहाबाद में गठित अधिवक्ता मंच के पास इसी दौरान उत्तर प्रदेश के 32 जिलों के 120 मामले एनएसए के आये। इनमें आरोपित सभी लोग मुसलमान थे। इनमें से 94 मामले हाईकोर्ट में 'क्वैश' हो गये, यानि वे इतने फर्जी थे कि एफआईआर ही रद्द हो गयी।

मुसलमानों को धार्मिक रूप से 'शैतान' साबित करने के लिए उन पर गोहत्या का आरोप लगाकर जेल भेजना उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस की आम कार्यशैली हो गयी है। 2020 में ऐसे 41 मामले जो हाईकोर्ट पहुंचे, वो भी इतने फर्जी निकले कि

इनमें से 70 प्रतिशत मामले क्वैश हो गये और बाकियों को आसानी से जमानत मिल गयी। इस तरीके के बढ़ते फर्जी मामलों ने एक वर्ग के 'जीवन के अधिकार' को भी खतरे में डाल दिया है।

मुसलमानों के प्रति पुलिस के साम्प्रदायिक नजरिये के कारण ही उत्तर प्रदेश की जेलों में विचाराधीन कैदियों में मुसलमान आबादी का प्रतिशत 26 से 29 प्रतिशत है, जबकि प्रदेश में उनकी आबादी 19 प्रतिशत है। सजायाफ्ता कैदियों में उनका प्रतिशत 22 है।

उत्तर प्रदेश के कुख्यात फर्जी एनकाउण्टर में भी पुलिस की साम्प्रदायिक मानसिकता इस आंकड़े से उजागर होती है कि 2020 में हुए कुल एनकाउण्टरों में 37 प्रतिशत में भुक्तभोगी मुसलमान थे। 20 सितम्बर 2018 को अलीगढ़ में दो युवकों 17 साल के नौशाद और 22 साल के मुस्तकीम का एनकाउण्टर फिल्मी तरीके से पत्रकारों को बुलाकर प्रायोजित तरीके से किया गया, और बाकायदा इसका प्रसारण कर पूरे समाज का अमानवीयकरण किया गया। यह घटना प्रदेश में पुलिस महकमें के अपराधीकरण का एक नमूना थी। नौशाद और मुस्तकीम के घर वालों ने बताया कि दोनों को पुलिस 4 दिन पहले ही घर से पकड़कर ले गयी थी, फिर उन्होंने टीवी से उनके मारे जाने को देखा। अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार हनन का इससे क्रूर उदाहरण और क्या हो सकता है।

पीयूसीएल सभी चुनावी पार्टियों से यह मांग करती है कि वे अल्पसंख्यकों पर बढ़ते दमन पर तत्काल रोक लगाने का वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में करें, और सरकार बनाने के बाद इसे तत्काल रोकें।

'ठोंक' दो की नीति और 'जीवन का अधिकार'

जीवन का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त सबसे बुनियादी मानवाधिकार है, जिसके बगैर लोकतन्त्र की बात ही नहीं की जा सकती। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों से इस बुनियादी संवैधानिक मानवाधिकार का बड़े पैमाने पर हनन हुआ है। मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री में खुलेआम पुलिस अधिकारियों से अपराधियों को 'ठोंक देने' का आह्वान किया था। इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इतनी बड़ी असंवैधिक बातें बोलना और खुलेआम आपराधिक न्याय व्यवस्था को नकारने की बात कहना बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन इस सरकार के बनने के बाद मात्र 16 महीनों के भीतर ही 3,200 एनकाउण्टर किये गये, जिसमें 79 मौतें हुईं। इसके खिलाफ पीयूसीएल सहित कई मानवाधिकार संगठन कोर्ट में भी गये, उसके बाद भी मुख्यमंत्री 'ठोंक देने' की अपील करते रहे। बल्कि 2019 की 26 जनवरी को मुख्यमंत्री द्वारा एनकाउण्टर करने वाले पुलिस कर्मियों को 1 लाख रूपये का ईनाम देने की घोषणा की गयी।

जब मुख्यमंत्री की 'ठोंक दो' की नीति के खिलाफ मानवाधिकार संगठनों ने आवाज उठाना शुरू किया, तो एनकाउण्टर का दूसरा तरीका निकाल लिया गया। कथित अपराधियों के घुटनों पर बोरा बांधकर उन्हें लंगड़ा बनाये जाने की योजना शुरू हो गयी। इसे 'ऑपरेशन लंगड़ा' का नाम दिया गया। इसके तहत अनुमानित 3302 लोगों को लंगड़ा बनाया गया। 'इण्डियन एक्सप्रेस' अखबार ने सात ऐसे लोगों की कहानी प्रकाशित की।

सरकार द्वारा ये कार्यवाहियां बेहद निंदनीय हैं। पीयूसीएल की यह मांग है कि चुनावी पार्टियां इस बात की घोषणा करें कि वे सरकार बनाने के बाद इन एनकाउण्टरों में शामिल पुलिस कर्मियों और लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगी, मामले की जांच कर पीड़ितों को मुआवजा देगी, तथा भविष्य में ऐसी कार्यवाहियां न हो, इसे सुनिश्चित करेगी।

हिरासत में बढ़ती मौत

Table 4

Numbar of Deaths in Custody

Year	Deaths in Police Custody	Deaths in Judicial Custody
2018-19	12	452

2019-20	3	400
2020-21	11	443

टेबिल में हिरासत के मौत के आंकड़ें दिये गये हैं, जो इसके भी प्रदेश में बढ़ते जाने की स्थिति को दिखा रहे हैं। इस मामले में भी उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। कुछ महीनों पहले ही कासगंज शहर कोतवाली में अल्ताफ नाम के युवक की मौत हो गयी, जिसे पुलिस ने आत्महत्या बताया, ये जांच का विषय है लेकिन 'आत्महत्या' का जो सीन सामने आया (जैकेट की डोरी से 2 फीट ऊंचे नल से लटकना), वह इस पर गंभीर सवाल खड़े करता ही है। इसके पहले गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी और उसके पहले लखनऊ में एक युवक की पुलिस वालों द्वारा हत्या की बात सामने आ चुकी है। यह राज्य की बेलगाम होती पुलिस व्यवस्था की ही द्योतक है।

पीयूसीएल सभी चुनावी पार्टियों से यह मांग करता है कि वे अपने चुनावी घोषणाओं में हिरासत में होने वाली मौतों पर सवाल उठायें, उनकी जांच की घोषणा करें और सरकार बनाने के बाद इस दिशा में उचित कदम उठायें, ताकि ऐसी घटनाओं को तुरंत रोका जा सके।

विरोध प्रदर्शनों पर रोक

लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार ही ऐसा अधिकार है, जो उसे तानाशाही वाले राज से अलग करता है। यह लोकतन्त्र का एक महत्वपूण अधिकार है, जिसे हमारे संविधान के आर्टीकल 19(1)(ए) द्वारा देश के नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया है। यह अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है। यह किसी लोकतन्त्र का ऐसा अधिकार है जिसे सुरक्षित रखना सरकार का दायित्व है। लेकिन पिछले कई सालों से इस नागरिक अधिकार को बुरी तरह कुचला गया है। सरकार के खिलाफ होने वाले हर प्रदर्शन पर सरकारें बुरी तरह दमन कर रही हैं। चाहे वह कर्मचारियों का आन्दोलन हो या किसान–मजदूरों या छात्रों का उनकी मांगे सुनने, उन्हें बातचीत के लिए बुलाने की बजाय सरकार उन प्रदर्शनों पर लाठी से लेकर गोली तक चलवा रही है। इतना ही नहीं प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए सरकारों की यह कार्यशैली बन गयी है कि वे प्रत्येक जिले में हर समय धारा 144 लगाकर रखती हैं, ताकि किसी भी तरह का जमावड़ा कभी भी न होने पाये। यह सरकारी कार्यवाही अपने आप में गैरकानूनी है। महामारी के समय में समय में 'महामारी एक्ट' के बहाने से भी सरकारें लोगों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार का दमन कर रही है। जब ये लाइने लिखीं जा रहीं थीं, तो इलाहाबाद में प्रतियोगी छात्रों के ऊपर पुलिस लाठी बरसा रही थी, उन्हें उनके कमरों में से घसीट–घसीट कर मार रही थी। इस समय प्रदेश में विरोध–प्रदर्शनों को रोकना और उन पर लाठियां बरसाना बेहद आम सरकारी कार्यशैली हो चुकी है।

पीयूसीएल यह मांग करती है कि सभी चुनावी पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध–प्रदर्शन के अधिकार को सुनिश्चित करने का वादा करें और सरकार बनने पर इस मानवाधिकार को सुरक्षित करे।

पिछले कुछ सालों में राज्य में लाये गये असंवैधानिक कानून

कानून भी किसी देश या प्रदेश के लोकतन्त्र को मापने का पैमाना है। भारत के मुख्य न्यायधीश एनवी रमन्ना ने अपने एक भाषण में कहा था कि 'कई बार कानून खुद ही कानून की ही अवहेलना करने लगते हैं।'

पिछले पांच सालों में यूपी सरकार ने जिन कानूनों को प्रस्तावित किया है, संवैधानिक नजरिये से वे भी ऐसे ही हैं। आइये उन पर एक सरसरी निगाह डालें, और प्रदेश मे लोकतन्त्र का जायज़ा लें।

एण्टी रोमियो स्क्वाड

सरकार बनाते ही योगी सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए 'एण्टी रोमियो स्क्वैड' का गठन किया, जो अपने नाम व काम दोनों में सामंती है। इस दस्ते का गठन इस सोच से उपजा था कि लड़की और लड़का दोस्त नहीं हो सकते, उनका साथ–साथ घूमना अनैतिक है। यह नौजवानों पर सामंती नैतिकता थोपने वाला दस्ता है, इसकी घोषणा होते ही साम्प्रदायिक–सामंती लम्पटों का समूह सड़क पर दिखते लड़के–लड़कियों को सभ्यता सिखाने निकल पड़ा, जिसके कारण शुरूआत से ही नौजवानों के गुस्से का कारण बना और विवादों में आ गया। इसके बाद सरकार ने इसकी आक्रामकता को

कम करने की कोशिश की, जिसके बाद यह स्क्वाड पृष्ठभूमि चला गया, लेकिन सक्रिय रहा। एक पत्रकार द्वारा की गयी आरटीआई का जवाब देते हुए उप्र डीआईजी कार्यालय से बताया गया कि 'एण्टी रोमियो स्क्वाड' ने 22 मार्च 2017 से 30 नवम्बर 2020 तक कुल 14,454 लड़कों को गिरफ्तार किया है। तो प्रश्न उठता है कि क्या इससे महिलाओं के खिलाफ होने वाली बदतमीजी की घटनायें कम हो गयीं? नहीं, बल्कि इसका उल्टा हुआ। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2017 के पहले महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऐसे मामलों की संख्या प्रतिदिन 153 थी, जबकि 2019 में यह बढ़कर प्रतिदिन 164 हो गयी।

विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया यह कानून पूरी तरह से असंवैधानिक कानून है, जो महिला अधिकारों पर एक बड़ा हमला है। सामंती वर्णव्यवस्था वाले समाज में वर्ण और जाति की शुद्धता बनाये रखने के लिए औरतों की यौनिकता को नियंत्रित करने वाले ढेरों कानून बनाये गये, विवाह कानून भी उनमें से एक हैं। इन मनुवादी कानूनों की पुनर्स्थापना करने के लिए योगी सरकार इस कानून को लेकर आई। यह कानून मूलतः मुसलमान पुरूष और हिन्दू स्त्री के विवाह को रोकने के लिए लाया गया, इसीलिए वे इसे मज़ाक में 'लव जेहाद' कानून भी कहते हैं। इस कानून के अस्तित्व में आते ही कई प्रेमी युगल, जिनमें प्रेमी मुसलमान था, जेल पहुंच गये। न सिर्फ लड़का, बल्कि कई मामलों में तो उसके घर वाले भी जेल भेज दिये गये, बगैर लड़की की शिकायत के सरकार ने उन पर यह आरोप लगाया, कि वे लड़की का धर्म बदल रहे थे। हिन्दू से मुसलमान बनने वाले लड़के पर यह आरोप लगाया गया, कि वह शादी के लिए धर्म परिवर्तन कर लड़की को ठग रहा है या लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहा है। हां, यदि किसी मुसलमान लड़के या लड़की ने हिन्दू धर्म स्वीकार किया, तो उसे 'धर्म परिवर्तन' नहीं, बल्कि 'घर वापसी' माना गया। साफ तौर पर यह साम्प्रदायिक और महिला विरोधी भावना से प्रेरित कानून है, जो दो बालिग व्यक्तियों के शादी करने और मनचाहे धर्म को स्वीकारने के अधिकार पर हमला करता है। यह महिला आन्दोलन द्वारा हासिल 'चुनने के अधिकार' को छीनने वाला कानून है, यह कानून यह मानता है कि प्रेम सम्बन्धों में भी लड़की के मत का कोई मायने नहीं है, लड़का ही प्रेम में उसे बरगलाता है। यह संविधान के खिलाफ जाने वाला कानून है।

जनसंख्या नियंत्रण बिल 2021

इसी साल उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियन्त्रण बिल प्रस्तावित किया, जो असंवैधानिक तो था ही, साम्प्रदायिक भी था। पहले तो वर्षों की मेहनत से सरकार ने लोगों के दिमाग में यह बिठा दिया, कि 'जनसंख्या ही सारी समस्याओं की जड़ है और जनसंख्या का कारण मुसलमान हैं।' फिर इस साम्प्रदायिक मिथक को भुनाने के लिए सरकार ने यह कानून प्रस्तावित किया है। इस प्रस्तावित कानून के तहत दो से अधिक बच्चे वालों को चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरी सहित विभिन्न सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जायेगा।

यह कानून गरीब विरोधी है, जिन तक परिवार नियोजन के साधनों की न तो जानकारी है, न ही पहुंच है, और सरकार की यह खुली घोषणा भी है, कि यह सब उन तक पहुंचाना उसका काम नहीं है। उत्तर प्रदेश के घोर सामंती पितृसत्तात्मक समाज में यह कानून महिला विरोधी है। बेटों की आस में बेटियों के आगमन को अभी कुछ हद तक छूट मिली है, इस कानून के बाद उनका क्या हाल होगा, इसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं है। यह कानून ऊपरी तौर पर साम्प्रदायिक और पूरी तरह से भेदभावपूर्ण, सरकारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने वाला और महिला विरोधी है, जिसे आने से रोकना चाहिए, वरना सरकारी सुविधा, नौकरी, पद प्रतिष्ठा पूरी तरह से सवर्ण अभिजात्यों के पास केन्द्रित हो जायेगी।

उप्र लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020

यह कानून नागरिकता कानून के खिलाफ चले आन्दोलन से आक्रांत सरकार का जनता पर पलटवार है।

इस कानून के तहत किसी भी प्रदर्शन हड़ताल या आन्दोलन में सरकारी या निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचने की हालत में इसके खिलाफ तीन महीने के अन्दर दावा अधिकरण में शिकायत दर्ज करानी होगी। दावा अधिकरण प्रदर्शन का आयोजन करने वालों, उसमें शामिल लोगों को चिन्हित कर उनसे क्षतिग्रस्त सम्पत्ति की वसूली का आदेश जारी करेगी, जिसमें सम्पत्ति की कुर्की भी शामिल है। यह कानून इस रूप में बेहद गैरकानूनी और असंवैधानिक है कि इसमें दावा अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा, इसके खिलाफ आगे अपील नहीं किया जा सकेगा। दोषी घोषित व्यक्ति का पोस्टर जारी किया जायेगा, ताकि उसकी सम्पत्ति कोई न खरीदे। इसी कानून का नतीजा था, कि लखनऊ में नागरिकता कानून के खिलाफ हुये प्रदर्शनों के बाद रिक्शे वाले, ऑटो वाले के पास जिसका दोष भी साबित नहीं है, के खिलाफ करोड़ों रूपये की वसूली का नोटिस पहुंच गया था। यह कानून जस्टिस रमन्ना के शब्दों में कानून की ही अवहेलना करने वाला कानून है।

श्रम कानूनों को खत्म करने का प्रस्ताव

केन्द्र और राज्य दोनों सरकारें मजदूरों की सुरक्षा के लिए सदियों के संघर्ष के बाद बनाये गये कानूनों को खत्म करने की मंशा बनाये हुए हैं। 2020 में कोरोना काल में नासमझी भरे तरीके से लॉकडाउन कर सरकार ने खुद उद्योगों को नुकसान पहुंचाया, फिर उन्हें हुऐ नुकसानों का रोना रोते हुए श्रम कानूनों पर हमले शुरू किये। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अध्यादेश जारी कर, तीन साल तक सभी श्रम कानूनों के खात्मे की घोषणा कर दी, काम के घण्टे 12 कर दिये। मजदूरों और नागरिकों की ओर से इस पर तीखी प्रतिकिया हुई। क्योंकि अन्य राज्यों ने भी ऐसे ही कदम उठाये थे, इसलिए अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठनों ने भारत में मजदूरों की दुर्दशा को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, तो ये अध्यादेश ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी श्रम कानून खतरे में है। धीरे–धीरे कर श्रम कानूनों को पूंजीपतियों के पक्ष में किये जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। जिसका एक उदाहरण मजदूरों की छंटनी के कानून को मालिकों के लिए आसान बनाना है।

पिछले सालों में आये इन कानूनों की असंवैधानिकता को ध्यान में रखकर पीयूसीएल सभी चुनावी पार्टियों से यह मांग करती है कि इन कानूनों को समाप्त करेगी और भविष्य में ऐसे कानूनों को लाने से रोकेगी, जो खुद कानूनों की अवहेलना करते हैं।

चिकित्सा इलाज और सम्मान पूर्वक मृतक संस्कार का अधिकार

पूरी दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर में लाखों लोगों को प्रभावित किया, लेकिन इस महामारी के कारण उत्तर प्रदेश में जिस तरह की अफरा–तफरी मची मानव इतिहास के लिए शर्मनाक है, और प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। लोग दवा इलाज और ऑक्सीजन और बेड के लिए मारामारी करते रहे। लगता था कि प्रदेश में कोई सरकार है ही नहीं। चिकित्सा की कमी से लोगों का मर जाना मानवाधिकार और 'विकास' की स्थिति पर गंभीर सवाल है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या मात्र 23,073 थी, लेकिन बाद में गंगा के किनारों पर निकलती लाशों की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरों ने बता दिया कि ये आंकड़े लाख के आस–पास थे। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन जैसी बुनियादी चिकित्सा सुविधा के अभाव में लोगों का मर जाना, वो भी तब, जबकि कोरोना ने एक साल पहले ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी हो, बेहद शर्मनाक है। चिकित्सा हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है, जिससे बड़े पैमाने पर लोग वंचित किये गये। यहां तक कि मरने के बाद लोग सम्मानजनक अंतिम संस्कार से भी वंचित किये गये, जो कि जीवन के अधिकार का विस्तार है। नगर निगम की गाड़ियां लाशों को शर्मनाक तरीके से गंगा के घाटों पर फेंकती रहीं। जो एक ही बारिश के बाद उघड़कर बाहर दिखने लगी। उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे का यह दृश्य पूरी मानवता को शर्मशार करने वाला था, जिसकी चर्चा विदेशों तक में हुई।

इतना ही नहीं कोरोना के दौरान दूसरी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि अस्पतालों में उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्हें अस्पताल में भरती ही नहीं किया जा रहा था, नहीं उनका इलाज हो रहा था। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया था।

पीयूसीएल सभी चुनावी पार्टियों से यह मांग करता है कि वे अपनी सरकार गठन के बाद चिकित्सा व्यवस्था हर किसी को सहज सुलभ कराने की दिशा में खासतौर पर प्रयत्न करेंगी। कोरोना काल में हुई मौतों को सरकारी लापरवाही मानते हुए वे कोरोना के दौरान मरने वाले लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा देगीं।

पर्यावरण का नुकसान

पर्यावरण मानवाधिकार का अभिन्न अंग है और हमारे भौतिक अस्तित्व की अनिवार्य शर्त है। लेकिन राज्य के अनियंत्रित विकास ने इसे अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 2019 में बताया कि 2016 से 2019 के बीच देश भर में 69 लाख से अधिक पेड़ काटे गये। हमारे अपने प्रदेश में भी शहरों को स्मार्ट करने के नाम पर हर दिन बड़े और पुराने पेड़ों का कटना जारी है। जनता ऐसा विकास नहीं चाहती तब भी।

पीयूसीएल उत्तर प्रदेश आने वाली सरकार से यह मांग करती है कि वह मानव में पर्यावरण अधिकारों को गंभीरता से ले और–

1– किसी भी विकास परियोजना को लागू करने के पहले जनता की सहमति अवश्य ले।

2–वन संरक्षण अधिनियम का कड़ाई से पालन किया जाय।

3– प्रत्येक गांव में वर्षा के जल के संरक्षण के लिए तालाब बनाये जाय, पुराने तालाबों का संरक्षण किया जाय।

4–नदियों से बालू खनन के लिए मशीनों का प्रयोग बंद किया जाय।

जंसिता केरकेट्टा की ये कविता पर्यावरण से होने वाले नुकसान को बखूबी बयान करती है

सच बोलती सड़कें

ओह! क्या तुम नहीं देख सकते

चौड़ी सड़कों के लिए हज़ारों पेड़

दे रहे हैं अपनी कुर्बानी

क्या अब भी चाहिए तुम्हें

विकास की कोई परिभाषा?

नई सड़के बतलाती हैं

विकास के नाम पर ही

उखाड़ी जा सकती हैं जड़ें

पेड़ और आदमी दोनों की।

इन सभी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार हनन के मामले चिंताजनक स्थिति में हैं और तत्काल इस पर ध्यान दिये जाने की ज़रूरत है। पीयूसीएल की मांग है कि सभी चुनाव लड़ने वाली पार्टियां इन मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित कर मानवाधिकार हनन के मामलों को अपने एजेण्डे में शामिल करे और मानवाधिकारों को सुरक्षित कर उत्तर प्रदेश को अलोकतान्त्रिक होने से बचाये।

पीयूसीएल उत्तर प्रदेश

PUCL
Peoples' Union for Civil Liberties

पीयूसीएल के लिए संयोजक एडवोकेट फरमान नक़वी द्वारा जारी

तथ्य संग्रह

चार्ली प्रकाश,

केके रॉय,

सीमा आज़ाद,

अरूंधति धुरू,

आनन्द मालवीय,

शाश्वत आनंद

पुस्तिका संयोजन व लेखनः

सीमा आज़ाद

तथ्यों के स्रोतः *NHRC*, NCW, NCRB, INDIAN EXPRESS, THE HINDU

सम्पर्क–**puclup17@gmail.com**

फोन नम्बर 9415214320, 9506207222

जारी– 30 जनवरी 2022